



मध्य क्षेत्रीय गुजराती बाज खेड़ावाल समाज मुख्यालय – जबलपुर

135, संगम कॉलोनी, बल्देवबाग, जबलपुर म.प्र. 482002

पत्र क्रमांक –11/2025

दिनांक – 20/02/2025

आम सभा एवं चुनाव की अधिसूचना

प्रति,

- (1) समस्त आजीवन सदस्यगण
- (2) अध्यक्ष/सचिव ('समाज' के सभी स्थायी संगठन)

.....

महोदय,

सूचित किया जाता है कि मध्य क्षेत्रीय गुजराती बाज खेड़ावाल समाज, मुख्यालय-जबलपुर की सामान्य सभा की एक द्विसीय बैठक दिनांक 23/03/2025 दिन रविवार को प्रातः 11 बजे से लगभग सायं 5 बजे तक बाज खेड़ावाल गुजराती भवन, 135 संगम कालोनी, बल्देवबाग, जबलपुर (म.प्र.) में आयोजित की जा रही है। यथा समय बैठक में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

बैठक की विषय सूची :-

1. दीप प्रज्ज्वलन, बैठक का प्रारम्भ, स्व परिचय।
2. सचिव का स्वागत उद्बोधन एवं प्रतिवेदन, पिछले कार्यवृत्तों का अनुमोदन।
3. कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट, आय-व्यय एवं आडिट रिपोर्ट का अनुमोदन।
4. शिक्षा समिति, पत्रिका एवं वेबसाइट विषयों पर क्रमशः चर्चा।
5. अध्यक्ष जी का उद्बोधन।
6. संगठन, सामाजिक हित के कार्यालयीन, आर्थिक तथा नये उद्देश्यों पर चर्चा :-
 - (अ) आजीवन सदस्यता शुल्क को बढ़ाने व आजीवन सदस्यता फंड (सामान्य खाता) के माध्यम से पत्रिका फंड को बढ़ाने पर चर्चा।
 - (ब) कार्यकारिणी समिति के वर्तमान दो वर्ष के कार्यकाल को तीन वर्ष किये जाने हेतु चर्चा।
 - (स) ग्वारीघाट (पंडित जी के निवास पर) स्थित भवन के ऊपर दो कमरों के निर्माण तथा भविष्य के लिए सामाजिक आनंद आश्रय (वृद्धा आश्रम) की आवश्यकता पर चर्चा।

7. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से ।
8. संगठन की नवीन कार्यकारिणी समिति के गठन की प्रक्रिया (चुनाव) –
(दिनांक 09/02/2025 को सचिव के निवास पर मुख्यालय के पदाधिकारियों /कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में हुई चर्चा व लिए गये निर्णय के अनुसार)
 - (अ) वर्तमान अध्यक्ष श्री अनिल धगट जी (दमोह) का संविधान अनुसार (लगातार दो बार) कार्यकाल पूर्ण हो रहा है अतः वे अब निवृत्तमान होंगे । आप मध्य क्षेत्रीय समाज के संस्थापक सदस्य व संविधान सभा के सदस्य रहें हैं । समय-समय पर आपके द्वारा संगठन का संविधान के अनुरूप मार्गदर्शन भी किया जाता रहा है । अतः आपको चुनाव अधिकारी के रूप में नवीन कार्यकारिणी के गठन/चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण कराने का दायित्व सौंपा जा रहा है ।
 - (ब) सभा द्वारा पदाधिकारियों/कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जावेगा, जो उच्च पद से प्रारम्भ होगा । पद विशेष के लिए कोई एक सदस्य किसी एक सदस्य के नाम को प्रस्तावित करेगा – दूसरा कोई एक या अधिक सदस्य उसका समर्थन करेंगे । किसी पद पर एक से अधिक नाम के प्रस्ताव-समर्थन की स्थिति में चुनाव अधिकारी उपस्थित सदस्यों से हाथ खड़ा करवाकर, समर्थकों की गिनती करेंगे । संख्यात्मक स्थिति का निर्णय कर चुनाव अधिकारी प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित करेंगे । अर्थात् सदस्यों को अपना मत प्रत्यक्ष रूप से देना होगा ।
 - (स) प्रस्तावक-व्यक्ति विशेष से आवश्यक सहमति प्राप्त करने के बाद ही उसके नाम को प्रस्तावित करेंगे ।
 - (द) किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम पूरी चुनाव प्रक्रिया में केवल एक ही बार प्रस्तावित किया जा सकेगा ।
 - (ड) निर्वाचन प्रक्रिया उपरान्त रिक्त पदों को चुनाव अधिकारी निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा उनकी आपसी सहमति से तय सदस्य को मनोनित कर समिति को पूर्ण करेंगे ।
9. नव निर्वाचित अध्यक्ष/पदाधिकारियों का स्वागत व नव निर्वाचित अध्यक्ष का उद्बोधन ।
10. सभा समाप्ति के पूर्व दिवंगत सदस्यों को दो मिनिट की मोन श्रद्धांजलि ।

नोट –

- (अ) यह सूचना पत्र, सभी सदस्यों को (पूर्व में लिए निर्णय के अनुसार) केवल डिजिटल रूप से भेजा जा रहा है । आवश्यकता होने पर आप स्वयं इसका प्रिंट निकलवा लें । बैठक में उपस्थित सदस्यों को इस सूचना पत्र की प्रिंटेड प्रति बैठक सामग्री के साथ उपलब्ध कराई जायेगी ।
- (ब) बैठक के प्रारम्भ में चाय, विस्किट, विषयांतर्गत चर्चा के बीच दोपहर एक से दो बजे का समय भोजनावकाश के लिए तथा सभा समाप्ति पर चाय-स्वल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है ।
- (स) संविधान की प्रति 'समाज' की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।
- (द) बैठक में उपस्थित सदस्य अपना आजीवन सदस्यता क्रमांक अवश्य याद रखें । सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध है ।

सादर

भवदीय



(सुधीर पंड्या)

सचिव